Angoori Devi College of Law Education

LAKHAOTI (BULANDSHAHR)

UNITED SECULAR SOCIETY

SUBJECT :- DRAFFTING of PLEADING & CONVEYANCING

Code → 805
Roll. NO → 3360043

SUBMITTED BY
Usha devi Sharma

SUBMITTED TO
Rajendra singh

Scanned with CamScanner

INDEX

S.No.	ASSIGNMENTS	PAGE No.
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	1-2
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना-पत्र	3-4
3.	प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सी० आर० पी० सी०	5-8
4.	जमानत प्रार्थना पत्र	9-10
5.	परिवाद	11-13
6.	शपथ-पत्र	14
7.	दाम्पत्य अधिकारो की पुर्नस्थापना के लिए प्रार्थना-पत्र	15-17
8.	भरण पोषण हेतु प्रार्थना-पत्र	18-20
9.	विवाह विच्छेद हेतु प्रार्थना-पत्र	21-22
10.	विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत किये गये वाद पत्र का प्रतिवाद-पत्र	23-24
11.	विक्रय पत्र	25-26
12.	व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस	27-28
13.	दान-पत्र	29

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

सेवा मे,

श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय
पहासू जिला, बुलन्दशहर

महोदय,

निवेदन है कि, प्रार्थीया की शादी दिनॉक 08-02-2015 को मनोज पुत्र श्री श्योप्रसाद निवासी ग्राम महमदपुर थाना शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के साथ हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। प्रार्थीया के परिवार जनो शादी मे लगभग 14 लाख रूपये दान-दहेज व दावत-पानी मे खर्च किये थे, परन्तु शादी मे मिले दान दहेज से प्रार्थी के ससुराल वाले पति मनोज ससुर श्योप्रसाद, सास श्रीमति रतन कौर, देवर सुन्दर चचिया ससुर बीहा सिंह चचिया ससुर का लड़का देवेन्द्र, तौया ससुर होती लाल नन्द रिंकू फुफिया सास का लड़का संजीव व भुजेन्द्र खुश नही थे और अतिरिक्त दहेज मे 3 लाख रुपये और स्विफ्ट डिजायर गाडी की मॉग कर प्रार्थी को प्रताडित करने लगे, और कहने लगे कि जब तक उक्त दहेज नही लायेगी तब तक तुझे इसी प्रकार तंग व परेशान कर के मारपीट करते रहेगे और मौका पाकर तुझे जान से मार देगे, सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीया को अकेला देखकर सुन्दर व देवेन्दर ने दुराचार का प्रयास किया था। और दिनॉक 22-05-2016 को उक्त दहेज की मॉग कर मारपीट करके प्रार्थी को उसके गॉव से बाहर छोड़ गये। जिसकी शिकायत मैने थाने व एस० एस० पी० महोदय को दी थी,

घटना दिनॉक 31-05-2016 की सुबह करीब 10 बजे की है, घर के सभी लोग खेत पर काम करने चले गये प्रार्थीया भी कम्पुटर सीखने जाने वाली थी तभी उपरोक्त सभी लोग गाड़ी मे बैठकर प्रार्थीया के मायके आये,

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

और गन्दी - गन्दी गालियाँ देते हुए कहने लगे कि तु बहुत शिकायत करती है तुझे आज मजा चखा देगे, तुने उक्त दहेज का प्रबन्ध किया या नही, आज तेरा काम ही तमाम कर देते है। यह कहकर उक्त लोगो ने एक राय होकर प्रार्थीया के साथ लात - घूसो से मारपीट की जिससे प्रार्थीया को काफी चोटे भी आयी। प्रार्थीया के ससुर ने कहा कि साली को जान से ही मार दो तो सुन्दर व देवेन्द्र और नन्द रिंकू पति मनोज ने प्रार्थीया को धक्का मारकर कमरे मे अन्दर ले जाकर जान से मारने की नीयत से गले मे फन्दा डालकर खींचने लगे, मनोज ने कहा साली को बेइज्जत कर दो तो देवेन्द्र व सुन्दर ने प्रार्थीया के कपड़े उतार कर अर्द्धनग्न कर दिया और अश्लील हरकत कर बलात्कार करने का प्रयास करने लगे और दोनो ने प्रार्थीया के गले मे पड़े फन्दे को खींचकर जान से मारने का प्रयास किया जिससे प्रार्थीया की चीख निकल पड़ी। शोर की आवाज सुनकर अशोक व प्रदीप तथा गाँव के अन्य काफी लोगो को आता देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी मे बैठकर भाग गये प्रार्थीया रिपोर्ट दर्ज करवाने आयी है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीया की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

दिनाँक - 31-05-2016

प्रार्थीया
श्रीमति पिन्की पत्नी मनोज
पुत्री. छत्रपाल निवासी ग्राम
रसूलगढ़ थाना पहासू जिला
बुलन्दशहर

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना - पत्र)

सेवा मे,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
महोदय,
बुलन्दशहर

महोदय,
निवेदन है कि प्रार्थिया की शादी
दिनाँक 08-02-2015 को मनोज पुत्र श्री
श्यौप्रसाद निवासी ग्राम महमूदपुर थाना शिकार
पुर जिला बु० शहर के साथ हिन्दू रीति -
रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी प्रार्थिया के
परिवारजनो ने शादी मे करीब 14 लाख रुपये दान
दहेज व दावत पानी मे खर्च किये थे। परन्तु
शादी मे मिले दान दहेज से ससुराल वाले पति
मनोज ससुर श्यौप्रसाद, सास श्रीमति रतन कौर,
देवर सुन्दर, चचिया ससुर बीधा सिंह, चचिया
ससुर के लड़के देवेन्द्र, तैटया ससुर होती लाल,
नन्द रिंकू, फुफिया सास का लड़का संजीव व
भुजेन्द्र खुश नही थे। और अतिरिक्त दहेज मे
3 लाख नगद रुपये और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी
की माँग कर प्रार्थिया को प्रताड़ित करने लगे
और कहने लगे कि जब तक उक्त दहेज नही
लायेगी तब तक तुझे इसी प्रकार तंग व
परेशान करते रहेंगे और मौका पाकर तुझे
जान से मार देंगे। सभी लोग एक ही परिवार
के सदस्य है। प्रार्थिया को अकेला देखकर
सुन्दर व देवेन्द्र ने दुराचार का प्रयास किया
था और दिनाँक 22-05-16 को उक्त दहेज
की माँग कर मारपीट कर गाँव के बाहर
छोड़ गये। जिसकी शिकायत मैने थाने व
एस० एस० पी० महोदय को दी थी।
घटना दिनाँक 31-05-2016 समय करीब 10
बजे सुबह की है घर के सभी लोग खेत
पर चले गये प्रार्थिया भी कम्प्यूटर सीखने
जाने वाली थी तभी उपरोक्त लोग गाड़ी मे

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

बैठकर घर आये। और गन्दी -गन्दी गालियां देते हुए कहने लगे कि तु बहुत शिकायत करती है। तुझे आज मजा चखा देगे तुने उक्त दहेज का प्रबन्ध किया था नही। आज तेरा काम ही तमाम कर देते है यह कहकर उक्त लोगो ने एक राय होकर प्रार्थीया के साथ लात घूसो से मारपीट की जिससे प्रार्थीया को काफी चोटे भी आयी, प्रार्थीया के ससुर ने कहा, कि साली को जान से मार दो। तो सुन्दर, देवेन्द्र और नन्द रिंकू, पति मनोज ने प्रार्थीया को धक्का मार कर कमरे मे अन्दर ले जाकर जान से मारने की नीयत से गले मे फन्दा डालकर खीचने लगे। मनोज ने कहा, कि साली के कपड़े उतारकर अर्धनग्न दो और इसे बेइज्जत कर दो और दोनो ने अश्लील हरकत कर बलात्कार करने का प्रयास करने लगे और दोनो ने रस्सी को खींचकर जान से मारने का प्रयास करने लगे जिससे प्रार्थी की चीख निकल गयी शोर की आवाज सुनकर अशोक और प्रदीप तथा गाँव के अन्य काफी लोगो को आता देखकर जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी मे बैठकर भाग गये

प्रार्थीया ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दी और मेडिकल कराने को कहा परन्तु कोई सुनवाई नही हुई तब प्रार्थीया ने बुलन्दशहर आकर अपना मेडिकल कराया।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उक्त लोगो के विरुद्ध थाना पहासू पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाकर कानूनी कार्यवाही कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीया

श्रीमती पिन्की पत्नी मनोज
पुत्री छत्रपाल निवासी
ग्राम-रसूलगढ़ थाना -
पहासू जिला -
बुलन्दशहर

दिनाँक - 01 - 06 - 2016

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी० आर० पी० सी०)

न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, बुलन्दशहर

प्रार्थना पत्र संख्या वर्ष

श्रीमति पिन्की उम्र 22 वर्ष पत्नी मनोज पुत्री छत्तपाल निवासी ग्राम - रसूलगढ़ थाना - पहासू जिला - बुलन्दशहर वादिनी

बनाम

नाम अभियुक्त गण

1. मनोज उम्र 24 वर्ष पुत्र श्यौप्रसाद
2. श्यौप्रसाद उम्र 50 वर्ष पुत्र नत्थी सिंह
3. श्रीमति रतन कौर उम्र 48 वर्ष पत्नी श्यौप्रसाद
4. सुन्दर उम्र 22 वर्ष पुत्र श्यौप्रसाद
5. बीद्या सिंह उम्र 49 वर्ष पुत्र नत्थी सिंह
6. रिंकू उम्र 25 वर्ष पुत्री होती लाल
7. देवेन्द्र उम्र 19 वर्ष पुत्र बीधा सिंह
8. होतीलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र नत्थी सिंह
9. संजीव उम्र 23 वर्ष पुत्र धर्मपाल सिंह
10. भुजेन्द्र उम्र 45 वर्ष पुत्र नत्थी सिंह
11. देश प्रभावती उम्र 46 वर्ष पत्नी बीधा सिंह

समस्त निवासी - ग्राम महमूदपुर

नाम व पता गवाहान

1. अशोक पुत्र छत्तपाल निवासी ग्राम रसूलगढ़ थाना पहासू जिला बु० शहर

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

2. प्रदीप पुत्र हजारी लाल निवासी अशोक नगर कस्बा व थाना पहासू जिला बु० शहर

3. रिकार्ड कीपर एस० एस० पी० कार्यालय बु० शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 156 (3) सी० आर० पी० सी० थाना पहासू

1. यह कि प्रार्थीया/वादिनी की शादी दिनाँक 08-02-2015 को मनोज पुत्र श्यौप्रसाद निवासी महमूदपुर थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर के साथ हिन्दू रीति - रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी।

2. यह कि वादिनी की माता व भाइयों ने शादी मे करीब 15 लाख रुपये का दान दहेज व दावत मे खर्च किये थे। परन्तु शादी मे मिले दान दहेज से प्रार्थीया के ससुराल वाले खुश नही थे। और शादी के दिन से ही 3 लाख रुपये नगद व सिफ्ट डिजायर गाड़ी की माँग कर प्रताडित करने लगे और कहने लगे कि जब तक तू उक्त दहेज नही लायेगी इसी प्रकार तुझे परेशान करते रहेंगे। प्रार्थीया को अकेला पाकर सुन्दर व देवेन्द्र ने प्रार्थीया के साथ दुराचार का प्रयास किया।

3. दिनाँक 22-05-2016 मे उक्त लोगो ने दहेज की माँग को लेकर प्रार्थीया के साथ मारपीट की और उसके गाँव के बाहर छोड़ गये जिसकी शिकायत प्रार्थीया ने थाने पर व वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय बुलन्दशहर से की थी।

4. यह कि घटना दिनाँक 31-05-2016 समय करीब 10.00 बजे सुबह की है, घर के सभी लोग खेतो पर काम करने गये थे प्रार्थीया घर पर अकेली थी, प्रार्थीया कम्प्यूटर सीखने जाने वाली थी तभी उपरोक्त लोग गाड़ी मे

Scanned with CamScanner

बैठकर प्रार्थीया के मायके आ गये और आते ही
गन्दी - गन्दी गॉलिया देते हुए घर मे घुस आये
और कहने लगे कि तु बहुत शिकायत करती
है, आज तुझे मजा चखा देगे तुने उक्त
दहेज का प्रबन्ध किया था नही आज तेरा काम ही
तमाम कर देते है यह कहकर उक्त लोगो ने
एक राय होकर प्रार्थीया के साथ लात - घूसो
से मारपीट की जिससे प्रार्थीया को काफी
चोटे भी आई। प्रार्थीया के ससुर ने कहा
कि साली को जान से मार दो तो सुन्दर
व देवेन्द्र, नन्द रिंकू व पति मनोज ने प्रार्थीया
को धक्का मारकर कमरे मे अन्दर ले जाकर
जान से मारने की नीयत से गले मे फन्दा
डालकर खीचने लगे। मनोज ने कहा कि साली
को बेइज्जत कर दो तो सुन्दर व देवेन्द्र ने
प्रार्थीया के कपड़े उतार अस्त - व्यवस्त कर अर्द्ध
नग्न कर दिया और अश्लील हरकत कर
बलात्कार करने का प्रयास करने लगे। जिससे
प्रार्थीया की चीख निकल गयी। शोर की
आवाज पर प्रार्थीया का भाई अशोक और
प्रदीप तथा गॉव के अन्य काफी लोगो को
आता देखकर जान से मारने की धमकी देते
हुए गाड़ी मे बैठकर भाग गये।

5. यह कि प्रार्थीया ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने
के लिए थाने पर प्रार्थना पत्र दिया थाने वालो
ने प्रार्थीया को बु० शहर भेज दिया। प्रार्थीया
ने बुलन्दशहर मे अपनी चोटो का मेडिकल
कराया और एस० एस० पी० महोदय को प्रार्थना
पत्र दिया और दिनॉक 2-06-2016 को रजिस्ट्री
भी की थी। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही
नही हुई है इसलिए प्रार्थीया न्यायालय की शरण
मे आयी है उक्त लोग हेकड़, सरकश व बदमाश
किस्म के लोग है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त
लोगो के विरुद्ध सम्बन्धित थाने पर मुकदमा
पंजीकृत कराया जाकर कानूनी कानूनी
कार्यवाही कराये जाने की कृपा करे।

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

आपकी अति कृपा होगी।

दिनॉक - 07-06-2016

प्रार्थिया / वादिनी
श्रीमति पिन्की पत्नी मनोज
पुत्री छत्रपाल निवासी-
ग्राम रसूलगढ़ थाना
पहासू जिला-
बुलन्दशहर

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(जमानत प्रार्थना पत्र)

न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बुलन्दशहर वर्ष 2016

प्रार्थना पत्र जमानत संख्या

सरकार बनाम शाकिर उर्फ बिहारी

अन्तर्गत धारा - 392/411/120 B.I.P.C
थाना - सिकन्द्राबाद जिला बु० शहर

मु० अ० स० 434/2016

प्रार्थना पत्र जमानत मिनजानिब शाकिर उर्फ बिहारी पुत्र मेहरबान निवासी इन्द्रा कॉलोनी भाईपुरा रोड थाना कोतवाली देहात जिला - बुलन्दशहर निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है।

घटना का दिनॉक व समय :- 9-06-2016 समय -13.00 बजे रात्रि

रिपोर्ट का दिनॉक व समय :- 9-06-2016 समय 14-05 बजे रात्रि

रिपोर्टकर्ता का नाम व पता :- श्रीमहीपाल सिंह पुत्र बल्लु सिंह निवासी मडावरा थाना सिकन्द्राबाद जिला - बुलन्दशहर

अभियुक्त गण :- प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अज्ञात

गिरफ्तारी या समर्पण :- गिरफ्तार होकर

अधिनस्थ न्यायालय से जमानत खारिज की दिनॉक :- 6-07-2016

जमानत का प्रकार :- प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

संक्षिप्त विवरण :- प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

आधार जमानत

1. यह कि प्रार्थी सर्वथा निर्दोष है और उक्त अपराध मे झूठा फँसाया गया है।
2. यह कि प्रार्थी ने कथित अपराध कारित नही किया है।
3. यह कि प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद नही है।
4. यह कि प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है जो भी साक्षी दर्शाये गये है वे सभी हितबद्ध है।
5. यह कि प्रार्थी कथित घटनास्थल पर नही पकड़ा गया है बल्कि प्रार्थी को दिनॉक 01-07-2016 की रात्रि को प्रार्थी के घर से गिरफ्तार किया गया है तथा प्रार्थी के घर से पुलिस वाले 25000=00 रूपये जो कि घर मे बक्से मे रखे हुए थे जो प्रार्थी के पिता के थे और एक मोटर साईकिल बिना नम्बर की जो प्रार्थी के भाई रिजवान ने कुछ दिन पहले खरीदी थी को भी प्रार्थी के साथ उठाकर ले आये थे।
6. यह कि प्रार्थी को उक्त अपराध मे मोहल्ले की पार्टीबन्दी व रंजिश के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद की पुलिस से साज करके उक्त अपराध मे झूठा फंसाया गया है।
7. यह कि प्रार्थी से कोई अन्य बरामदगी नही हुई है. दर्शायी गयी बरामदगी प्लान्ट की गई है।
8. यह कि प्रार्थी एक सम्मानित परिवार का सदस्य है उसके भागने या फरार होना का कोई अन्देशा नही है।
9. यह कि प्रार्थी न्यायालय की सन्तुष्टि अनुसार अपनी जमानत देने को तैयार है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है तारीख फैसला अभियोग प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी / अभियुक्त
साकिर उर्फ बिहारी
बनाम द्वारा

दिनॉक -

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(परिवाद)

न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [प्रथम] महोदय बुलन्दशहर

वर्ष

परिवाद संख्या

नाम परिवादी :- भरत कुमार पुत्र श्री हरप्रसाद शर्मा उम्र करीब 38 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी- सी/84 ए, यमुनापुरम थाना कोतवाली देहात जिला - बु० शहर

बनाम

अभियुक्त गण :- 1. हरिमोहन पुत्र राम मोहन निवासी सराय किशन चन्द्र थाना व कस्बा - डिबाई जिला बुलन्दशहर

2. दो अज्ञात

नाम व पता साक्षीगण :- 1. देवेन्द्र शर्मा पुत्र दीपचन्द शर्मा निवासी -3/366 देवीपुरा द्वितीय थाना कोतवाली नगर जिला बुलन्दशहर

2. अजय कुमार शर्मा पुत्र रविदत्त शर्मा निवासी देवीपुरा द्वितीय थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर

अन्तर्गत धारा :- 307/452/406/323/504/506 I.P.C

नाम थाना :- कोतवाली देहात

कैफियत :- नवीन है

श्रीमानजी,

निवेदन है कि प्रार्थी भरत कुमार पुत्र श्री हरप्रसाद शर्मा निवासी सी/84 ए यमुना पुरम थाना कोतवाली देहात जिला बु० शहर का निवासी है परिवादी के परिचित हरिमोहन पुत्र श्री राम मोहन निवासी सराय, किशन चन्द्र कस्बा व थाना डिबाई जिला बु० शहर दिनॉक 11-12-2014

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

को समय करीब 10 बजे दिन मेरे घर आया और आकर कहने लगा कि भैया मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे परिवार के लोग मेरी मदद्त नही कर रहे है। हरी मोहन का प्रार्थी के यहाँ कई वर्षो से आना जाना है प्रार्थी के सीधे स्वभाव बीमार माँ की वजह से पैसो की हाँ कर दी और दिनॉक 12-12-2014 को परिवादी ने अपना खाता नम्बर 053672 इला० बैंक पुरानी जेल बु० शहर से हरी मोहन के खाता नम्बर 05347 पी० एन० बी० शाखा डिबाई जिला बुलन्दशहर मे 8000 रूपया ट्रान्सफर कर दिये। परिवादी से हरिमोहन ने पैसे लौटाने के लिए 2 माह का समय दिया था। परिवादी ने दिनॉक 3-3-2015 को हरिमोहन से पैसो का तकादा किया तो हरिमोहन ने कुछ समय की मोहलत और मॉग ली। परिवादी ने दिनॉक 10-07-2015 को पुनः तकादा किया। कि भाई अब तो काफी समय हो गया है अब मेरा पैसा लौटा दो हरिमोहन ने परिवादी से दो माह का समय माँगते हुए कहा कि मै दो महीने मे आपके पैसे लौटा दूंगा परिवादी लगातार हरिमोहन से पैसो का तकादा करता रहा।

दिनॉक 25-10-2015 को समय करीब 5 बजे हरिमोहन अपने अन्य दो साथियो के साथ जिन्हे मैं नही जानता सामने आने पर पहचान कर सकता हूँ आये और साथ आते ही परिवादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हरिमोहन ने अपने हाथ मे लिये तमंचे को परिवादी की कनपटी पर रख दिया और कहने लगा कि अब मॉग साले पैसे के लिये परेशान कर रखा है अब तुझे कोई पैसा नही मिलेगा ज्यादा होशियारी की तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। परिवादी ने डर की वजह से हाथ जोड़कर कहा ठीक है मत देना लेकिन मुझे छोड़ दो। तभी परिवादी के गेट पर डोर बेल बजी। परिवादी ने कहा कोई है बाहर तब उक्त लोगो ने परिवादी को छोड़ा जैसे ही परिवादी ने गेट खोला तो

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री दीपचन्द्र पुत्र श्री रविदत्त
शर्मा निवासी देवीपुरा द्वितीय बु० शहर, अजय
कुमार शर्मा निवासी देवीपुरा द्वितीय चार धार
रोड़ बु० शहर को देखकर परिवादी से पड़ा और
कहने लगा भैया मुझे बचा लो उक्त लोग इन
दोनो को देखकर डर गये और जान से मारने
की नीयत से फायर करके धमकी देकर भाग
गये। परिवादी तभी से डरा हुआ है, और जान
माल का खतरा बना हुआ है। उक्त हरिमोहन
हैकड व सरकश किस्म का व्यक्ति है परिवादी
उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने
पर गया लेकिन वहाँ परिवादी की कोई रिपोर्ट
दर्ज नही की गयी तब प्रार्थी ने दिनाँक 30-
10-2015 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक महोदय बुलन्दशहर को दिया
परन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट फिर भी दर्ज नही की
गयी मजबूर होकर परिवादी मा० न्यायालय की
शरण मे आया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि
उक्त कारणो से अभियुक्तगण को तलब
कर साक्ष्य अभियुक्त गण को दण्डित किया
जाये तथा परिवादी का रुपया अभियुक्त
गण से दिलवाया जाये।

प्रार्थी/परिवादी

दिनाँक -

भरत कुमार पुत्र श्री
हरप्रसाद शर्मा निवासी
सी/84 ए० यमुनापुरम
थाना कोतवाली देहात
जिला बुलन्दशहर

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री दीपचन्द्र पुत्र श्री रविदत्त शर्मा निवासी देवीपुरा द्वितीय बु० शहर, अजय कुमार शर्मा निवासी देवीपुरा द्वितीय चार धार रोड़ बु० शहर को देखकर परिवादी शे पड़ा और कहने लगा भैया मुझे बचा लो उक्त लोग इन दोनो को देखकर डर गये और जान से मारने की नीयत से फायर करके धमकी देकर भाग गये। परिवादी तभी से डरा हुआ है, और जान माल का खतरा बना हुआ है। उक्त हरिमोहन हैकड व सरकश किस्म का व्यक्ति है परिवादी उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर गया लेकिन वहाँ परिवादी की कोई रिपोर्ट दर्ज नही की गयी तब प्रार्थी ने दिनाँक 30-10-2015 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलन्दशहर को दिया परन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट फिर भी दर्ज नही की गयी मजबूर होकर परिवादी मा० न्यायालय की शरण मे आया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त कारणो से अभियुक्तगण को तलब कर साक्ष्य अभियुक्त गण को दण्डित किया जाये तथा परिवादी का रुपया अभियुक्त गण से दिलवाया जाये।

प्रार्थी/परिवादी

दिनाँक -

भरत कुमार पुत्र श्री
हरप्रसाद शर्मा निवासी
सी/84 ए० यमुनापुरम
थाना कोतवाली देहात
जिला बुलन्दशहर

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(शपथ पत्र)

न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय,
बुलन्दशहर

वर्ष -

प्रार्थना पत्र संख्या

श्रीमती पिन्की बनाम मनोज आदि

धारा - 156 (3) सी० आर० पी० सी०
थाना - पहासू
जिला - बु० शहर

शपथ पत्र मिनजानिब श्रीमती पिन्की उम्र 22 वर्ष पत्नी मनोज पुत्री छत्रपाल निवासी ग्राम-रसूलगढ़ थाना पहासू जिला बु० शहर निम्न प्रकार हैं —

(1.) यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सब सच व सही है तथा उपरोक्त पता मेरा मायका है।

(2.) यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी० आर० पी० सी० का समस्त कथन मेरे कहे अनुसार तैयार किया गया है जिसको मैने पढ़कर सोच समझ लिया है।

(3.) यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी० सी० आर० पी० सी० के समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान मे सच व सही है।

(4.) यह कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सी० आर० पी० सी० के समर्थन मे यह शपथ पत्र संक्षेप मे तैयार किया गया है।

(5.) यह कि शपथ पत्र की धारा 1 लगायत 5 का स्थान कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास मे सब सच व सही है कोई बात झूठी या छिपायी नही गयी है ईश्वर मेरी मदद् करे।

सत्यापित स्थान - बुलन्दशहर
दिनॉक - 07-06-2016

शपथकर्ती

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(दाम्पत्य अधिकारों की पुर्न स्थापना के लिये प्रार्थना पत्र) –

न्यायालय श्रीमान परिवार न्यायाधीश, महोदय
बुलन्दशहर

वाद संख्या वर्ष

सोनू पुत्र भगवान दास उम्र करीब 23 वर्ष
निवासी याबापुर पोस्ट दौरऊ थाना डिबाई
जिला - बुलन्दशहर (वादी)

बनाम

पुनम पुत्री रामप्रसाद उम्र 21 साल निवासी
ग्राम निवाड़ी बांगर थाना नरौरा जिला
बुलन्दशहर (विपक्षीया)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह
अधिनियम,

श्रीमानजी,

प्रार्थी / वादी निम्न निवेदन करता है –

1. यह कि प्रार्थी / वादी की शादी दिनॉक 18-02-2015 को विपक्षीया के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी।
2. यह कि प्रार्थी / वादी की शादी बिना दान दहेज के साधारण तरीके से सम्पन्न हुई थी।
3. यह कि शादी के बाद विपक्षीया वादी के घर आयी और वादी ने विपक्षीया को प्रेमपूर्वक रखा और घर मे उसकी हर जरूरत का पूरा पूरा ध्यान रखा।
4. यह कि परन्तु विपक्षीया का व्यवहार प्रार्थी / वादी व उसके परिवार के साथ अच्छा नही रहा और विपक्षीया न तो घर का कोई काम करती थी नाही प्रार्थी / वादी व उसके परिवार वालो को खाना देती थी। बल्कि छोटी - छोटी बातो पर घर मे कलेश रखने लगी। प्रार्थी / वादी ने विपक्षीया को काफी

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

समझाया परन्तु उसके व्यवहार में कोई अन्तर नही आया प्रार्थी / वादी व उसके परिवार वाले यही सोचकर रह जाते कि चलो आगे चलकर समझ आ जायेगी। और अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगी।

5. यह कि अब से करीब छः माह पूर्व प्रार्थी / वादी के घर प्रार्थी / वादी का साला देवेन्द्र व पड़ोसी डॉक्टर शिशुपाल सिंह एक गाड़ी से आये प्रार्थी / वादी उस समय कॉलेज गया हुआ था। और प्रार्थी / वादी के माता - पिता खेतो पर गये हुए थे घर पर उस समय कोई भी नही था। समय करीब 12 बजे दोपहर उक्त दोनो लोग प्रार्थी / वादी की पत्नी पूनम को लिवा ले गये और जाते समय यह लोग घर पर रखी दो सोने की अगूँठी करीब आधा तौला, एक मंगलसूत्र सोने का वजनी करीब आधा तौला 5000=00 रूपये नगद जो घर के खर्चे के लिये रखे थे को लेकर चले गये। जिन्हे जाते हुए पड़ोसी विमलेश, पुष्पा व कई अन्य लोगो ने देखा।

6. यह कि प्रार्थी / वादी करीब के माता पिता व प्रार्थी जब शाम करीब 4 बजे के आसपास घर आये तो पड़ोसियो ने सारा वाका बताया। और प्रार्थी / वादी व उसके माता पिता ने घर मे सामान मे देखा तो सामान वहाँ नही था। प्रार्थी ने तुरन्त ही अपनी ससुराल फोन किया तो उन्होने प्रार्थी / वादी की पत्नी को भेजने से इन्कार करते हुए प्रार्थी / वादी को भी ससुराल आने से मना कर दिया।

7. यह कि प्रार्थी / वादी करीब 15 दिन बाद अपने पिता के साथ विपक्षीया को लेने ससुराल गया तो विपक्षीया को उसके साथ नही भेजा और प्रार्थी / वादी व उसके पिता को गाली - गलौच कर बेइज्जत करके भगा दिया।

8. यह कि प्रार्थी / वादी एक माह बाद विपक्षीया को फिर लेने गया तो विपक्षीया को नही भेजा इस प्रकार प्रार्थी / वादी ने कई बार विपक्षीया को लाने का प्रयास किया परन्तु विपक्षीया नही भेजी गयी और प्रार्थी / वादी को जान से मारने की धमकी देकर कहा कि अगर फिर आया तो तुझे जान से मार देगे अब पूनम तुम्हारे साथ कभी नही जायेगी।

UNITED REGULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

9. यह कि प्रार्थी / वादी दिनॉक 10-08-2015 को विपक्षीया को लिवाने गया परन्तु विपक्षीया व उसके घरवालो ने उसे प्रार्थी / वादी के साथ भेजने से साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी अगर अब यहाँ आये तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को दहेज आदि के झूठे मुकदमो मे फसवाकर जेल मे सड़वा देगे साथ ही प्रार्थी / वादी को बेइज्जत कर भगा दिया।

10. यह कि प्रार्थी / वादी विपक्षीया को बतौर पत्नी प्रेमपूर्वक अपने अपने आस पास रखना चाहता है।

11. यह कि विपक्षीया ने बिना किसी युक्ति युक्त कारणो के प्रार्थी / वादी का परित्याग कर रखा है।

12. यह कि प्रार्थी / वादी व विपक्षीया के बीच कोई दुर्रभि सन्धि नही है।

13. यह कि वाद का कारण दिनॉक 10-08-2015 को तब उत्पन्न हुआ जब विपक्षीया को प्रार्थी / वादी के साथ भेजने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

14. यह कि माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

15. यह कि वाद का मूल्यांकन 2000=00 रुपया किया जाकर नियमानुसार कोर्ट फीस अदा की जाती है।

16. यह कि वादी निम्न अनुतोष पाने का अधिकारी है—

(अ.) यह कि वादी का वाद डिग्री किया जाकर विपक्षीया को आदेशित किया जाये कि वह मय सामान के वादी के पास आकर बतौर पत्नी रहे और हक जोजियत अदा करें।

(ब.) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय की राय मे वादी को प्रदान किया जा सकता हो वादी को विपक्षीया से दिलाया जाये।

सत्यापन :- मै सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 से 16 तक मेरे निजी ज्ञान मे व कानूनी मशवरा के आधार पर सब सच व सही है।

प्रार्थी / वादी
सोनू
द्वारा
अधिवक्ता

स्थान :- बुलन्दशहर
दिनॉक :-

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र) —

न्यायालय श्रीमान परिवार न्यायाधीश, महोदय,
बुलन्दशहर वर्ष

विविध वाद संख्या —

श्रीमती सरिता शर्मा आयु लगभग 21 वर्ष पत्नी गिरधारी लाल पुत्री विजय कुमार शर्मा निवासी आजमपुर दरियापुर थाना - सलीमपुर जिला बुलन्दशहर (प्रार्थीया)

बनाम

गिरधारी लाल आयु लगभग 26 वर्ष पुत्र श्री महेश चन्द्र शर्मा निवासी ग्राम कल्यानपुर थाना नरसैना जिला - बुलन्दशहर
(विपक्षी)

प्रा० प० अ० धारा -125
सी० आर० पी० सी०
थाना - सलीमपुर

श्रीमानजी,

प्रार्थीया निम्नलिखित निवेदन करती है —

1. यह कि प्रार्थीया की शादी हिन्दू रीति - रिवाज के अनुसार दिनांक 05-02-2013 को विपक्षी के साथ ग्राम आजमपुर - दरियापुर जिला बु० शहर मे सम्पन्न हुई थी।

2. यह कि प्रार्थीया की शादी मे प्रार्थीया के पिता ने लगभग 8 लाख रुपये खर्च किये थे और सभी घरेलु सामान दिया था और सोने चाँदी के जेवरात व कीमती कपड़े आदि भी दिये थे और एक लाख रुपया नगद व मोटर साइकिल भी दी थी।

3. यह कि प्रार्थीया की शादी मे दिये उक्त सामान से प्रार्थीया के पति गिरधारीलाल, ससुर महेश चन्द्र शर्मा, सास भगवती देवी, जेठ अजय कुमार तथा जेठानी चंचल शर्मा सन्तुष्ट नही थे। और अतिरिक्त दहेज मे एक आल्टो कार व 150,000=/00 रुपये नगद की माँग करने लगे और उपरोक्त सभी व्यक्ति प्रार्थीया के साथ उक्त दहेज के लिए मारपीट करने लगे और तरह - तरह से प्रताड़ित करने लगे। उपरोक्त व्यक्तियों ने प्रार्थीया

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

को जान से मारने की नीयत से मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगाने की भी कोशिश की लेकिन प्रार्थीया के शोर मचाने पर कुछ लोग आ गये। जिन्होने प्रार्थीया को बचाया।

4. यह कि प्रार्थीया ने उपरोक्त सारी बाते अपने माता पिता एवं परिवार जनो को बताई। प्रार्थीया के माता - पिता एवं परिवार जनो ने भी प्रार्थीया के ससुराल वालो को समझाने की कोशिश की लेकिन उपरोक्त व्यक्ति नही माने और अतिरिक्त दहेज की मॉग पर अड़े रहे और प्रार्थीया के साथ मारपीट करते रहे उपरोक्त व्यक्तियो ने प्रार्थीया के साथ दिनॉक 01-07-2014 को भी मारपीट की जिससे जिससे प्रार्थीया का लगभग 5 माह का गर्भ गिर गया।

5. यह कि दिनॉक 10-07-2014 की रात्रि को उक्त व्यक्तियो ने प्रार्थीया के साथ मारपीट की और प्रार्थीया को मात्र पहने हुए कपड़ो मे घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थीया का समस्त स्त्रीधन भी अपने पास रख लिया। प्रार्थीया किसी तरह से अपने मायके पहुँची। और तब से ही अपने मायके मे रह रही है। विपक्षी ने प्रार्थीया की कोई सुध नही ली है और ना ही कोई खर्चा भेजा है।

6. यह कि प्रार्थीया के पास अपने भरण - पोषण हेतु कोई साधन नही है प्रार्थीया कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि का कार्य भी नही जानती है।

7. यह कि विपक्षी एच० डी० एफ० सी० बैंक शाखा जहाँगीरपुर जिला - गौतमबुद्ध नगर मे कार्यरत है और उसे लगभग 15000/=00 रुपये महावार वेतन मिलता है और गाँव मे खेती की जमीन भी है और भैंस पालकर दूध का डेयरी का भी काम करता है जिससे उसको लगभग 25000/=00 रुपये महावार आय होती है।

8. यह कि विपक्षी प्रार्थीया को 10,000/=00 रुपये भरण पोषण हेतु बखूबी दे सकता है और प्रार्थीया के भरण - पोषण की नैतिक जिम्मेदारी भी विपक्षी से 10,000/=00 रुपया महावार भरण - पोषण हेतु दिलाया जाना न्यायाहित मे आवश्यक है।

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

9. यह कि वाद का कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ है और माननीय न्यायालय को वाद के सुनने एवं निर्णय करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थीया को विपक्षी से 10,000/=00 रूपये महावार भरण-पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनॉक से दिलाये जाने की कृपा की जाये।

प्रार्थीया
सारिता शर्मा

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(विवाह विच्छेद हेतु प्रार्थना पत्र)

न्यायालय परिवार न्यायाधीश महोदय, बुलन्दशहर

वर्ष

वैवाहिक वाद संख्या

श्रीमती प्रेरणा उर्फ पायल उम्र 23 वर्ष पुत्री रविन्द्र पाल सिंह निवासी मकान नं० 26 मुकुन्द विहार, एस० डी० एम० कालोनी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जिला - बुलन्दशहर

(वादी)

बनाम

लव मोहन उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र डॉ० राम मोहन निवासी सुभद्रीती ग्लोबल ऐकेडमी बाईपास रोड़ नगरिया मैनपुरी जिला - मैनपुरी (उ० प्र०)

(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -13 हिन्दू विवाह अधिनियम

UNITED SECULAR SOCIETY

श्रीमानजी,

वादिनी निम्न निवेदन करती है —

1. यह कि वादिनी की शादी प्रतिवादी लव मोहन के साथ दिनॉक 15-02-2015 मे देवता फार्म हाउस गा० बाद जनपद गाजियाबाद मे हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुई। शादी के बाद वादिनी प्रतिवादी के साथ बतौर पत्नी प्रतिवादी के पैतृक निवास नगरिया जिला मैनपुरी मे बतौर पत्नी रही।

2. यह कि शादी के बाद 20 जुलाई 2015 को वादिनी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी लव मोहन ने 10-01-2015 मे आर्य समाज मन्दिर विवाह संस्कार ट्रस्ट निकट दुर्गा मन्दिर दिल्ली मे प्रज्ञा त्रिपाठी पुत्री श्री राधाकान्त निवासी 107, तरूणा बाजार थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात (उ० प्रदेश) से आर्यसमाज रीति - रिवाज से शादी कर रखी थी और यह तथ्य प्रतिवादी ने प्रार्थिया के साथ शादी करते समय छिपाया था।

Scanned with CamScanner

3. यह कि प्रतिवादी का व्यवहार शादी के बाद से ही वादिनी के प्रति क्रूरता का रहा है। प्रतिवादी की पूर्व शादी की बात वादिनी को मालूम पड़ने पर वादिनी ने इसकी सूचना अपने पिता को दी जिससे वादिनी के पिता वादिनी के ससुराल आये और दिनॉक 22-07-2015 को वादिनी को अपने साथ मैनपुरी से अपने निवास स्थल सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर लेकर आये।

4. यह कि दिनॉक 22-07-2015 से वादिनी अपने माता-पिता के पास रही है।

5. यह कि प्रबुद्ध न्यायालय को वाद सुनने व निर्णय देने का क्षेत्राधिकार है।

6. यह कि वाद मूल्य 2000/=00 रुपये मानकर न्याय शुल्क 37.50 पैसे अदा किया जाता है।

7. यह कि वाद के पक्षकारो के मध्य कोई दुरभि सन्धि नही है।

8. यह कि वादिनी प्रार्थी है कि :-

(अ) यह कि वादिनी व प्रतिवादी के बीच दिनॉक 15-02-2015 मे हुई शादी को शून्य घोषित कर वादिनी व प्रतिवादी के बीच वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेदित करने की डिक्री प्रदान की जाये।

(ब) यह कि वादिनी को अन्य कोई अनुतोष जो प्रतिवादी से दिलाया जा सके दिलाया जाये।

वादिनी
श्रीमती प्रेरणा उर्फ
पायल

Scanned with CamScanner

(विवाह विच्छेद हेतु प्रस्तुत किये गये वाद-पत्र का प्रतिवाद पत्र)

न्यायालय श्रीमान परिवार न्यायाधीश महोदय, बुलन्दशहर

वर्ष

वैवाहिक वाद संख्या

श्रीमती प्रेरणा उर्फ पायल

बनाम

लव मोहन

प्रतिवाद पत्र मिनजानिब लव मोहन →

1. यह कि वाद पत्र की धारा 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र की धारा 2 स्वीकार नही है
3. यह कि वाद पत्र की धारा 3 स्वीकार नही है।
4. यह कि वाद पत्र की धारा 4 स्वीकार नही है।
5. यह कि वाद पत्र की धारा 5 स्वीकार नही है।
6. यह कि वाद पत्र की धारा 6 स्वीकार नही है।
7. यह कि वाद पत्र की धारा 7 स्वीकार नही है।
8. यह कि वाद पत्र की धारा 8 कानूनी है अतः इसे स्वीकार या अस्वीकार करने की आवश्यकता नही है।

विशेष कथन

9. यह कि प्रतिवादी ने शादी के उपरान्त वादिनी के साथ सुखमय जीवन सामान्य तरीके से यापन करने का हर संभव प्रयास किया किन्तु वादिनी शादी के बाद कुछ दिन साथ रही उसके बाद कोई न कोई बहाना बनाकर अपने मायके चली जाती थी। इस प्रकार वादिनी प्रतिवादी के घर एक माह से ज्यादा नही रुकी। उसने अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का बखूबी पालन नही किया।

10. यह कि दिनांक 22-07-2015 को वादिनी के माता-पिता उसे खुशी-2 रजामन्दी के साथ प्रतिवादी के घर से सम्मानपूर्वक ले गये थे तब से वादिनी प्रतिवादी के भरसक प्रयासो के बाद भी प्रतिवादी के घर पत्नी के रूप मे रहने के लिये नही आयी तब मजबूर होकर प्रतिवादी ने

Scanned with CamScanner

न्यायालय परिवार न्यायाधीश महोदय, मैनपुरी के समक्ष याचिका संख्या 325 सन् 2015 लव मोहन बनाम प्रेरणा उर्फ पायल अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम दायर की। जो इस समय उक्त प्रबुध्द न्यायालय मे विचारधीन है।

11. यह कि वादिनी का यह कथन असत्य व बे-बुनियाद है कि प्रतिवादी ने दिनाँक 10-01-2015 को प्रज्ञा त्रिपाठी पुत्री श्री राधाकान्त त्रिपाठी निवासी 107, तरूणा बाजार, थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात (उ० प्र०) के साथ आर्य समाज रीति से शादी कर ली। प्रतिवादी ने प्रज्ञा त्रिपाठी से कोई शादी नही की।

12. यह कि वादिनी स्वेच्छा से अपने माता-पिता के साथ निवास कर रही है उसका स्वंय का इरादा प्रतिवादी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने का नही है। यही कारण है कि वह प्रतिवादी को समाज मे अपमानित करने के लिए विभिन्न आरोप लगाती चली आ रही है।

13. यह कि वादिनी का वाद-प्रतिवाद के मय हर्जा व खर्चा निरस्त होने योग्य है।

14. यह कि वाद-पत्र का मूल्यांकन जानबूझकर कम किया गया है।

15. यह कि वाद-प्रतिवादी वादिनी को अपनी पत्नी के रूप मे अपने साथ रखने को हमेशा तैयार कर रहा है और आज भी तैयार है।

16. यह कि प्रतिवादी का वादिनी के साथ वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त करने का कोई इरादा नही है।

प्रतिवादी
लव मोहन

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(विक्रय पत्र) →

हम कि श्री राजकुमार व श्री घनश्याम कुमार पुत्र गण स्व० श्री रामस्वरूप निवासी गण मौहल्ला राधानगर बु० शहर जिला बुलन्दशहर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री हरि शर्मा निवासी मौ० राधानगर बुलन्दशहर जिला बुलन्दशहर द्वितीय पक्ष (क्रेता) के है। जो कि एक प्लाट जिसकी पैमाईस 100 वर्ग गज है। जिसका पूर्ण विवरण विक्रय पत्र के अन्त मे दिया गया है। तन्हा प्रथम पक्ष की है और जो इस समय तक हर प्रकार के रहन, इकरार, कर्जा, लोन आदि से पाक साफ है को हम प्रथम पक्ष ने 400000=00 (चार लाख रूपये) मे जिसके आधे 200000=00 रूपये होते है। द्वितीय पक्ष को बेची और कुल रकम 400000 =00 रूपये हम प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नगद बरवक्त रजिस्ट्री वसूल पाकर विक्रित सम्पत्ति को अपने कब्जे व दखल मालिकाना से निकाल कर कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष को करा दिया है। हकूक अन्तरित हो गये है कागजात माल मे क्रेता स्वंय अपना नाम दर्ज करा ले। यदि किसी ऐसे कारण से जिसे हम प्रथम पक्ष ने स्पष्ट न किया हो विक्रीत सम्पत्ति का कब्जा द्वितीय पक्ष से निकाल जाये तो द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह अपना रूपया प्रथम पक्ष से द्वारा अदालत वसूल कर ले। हम प्रथम पक्ष व हमारे उत्तराधिकारीयो को कोई ऐतराज नही होगा। विक्रित सम्पत्ति का स्टाम्प शुल्क रू० 50000=00 अदा किया गया है हम प्रथम पक्ष ने बिला अपनी राजी खुशी सही व होश-हवास मे बिला जब्र व दाव नाजायज किसी के यह बैनामा द्वितीय पक्ष के मे तहरीर कर दिया कि सनद हो और उस वक्त जरूरत काम आये यह विक्रय पत्र आज दिनॉक 05-07-2013 को प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया।

Scanned with CamScanner

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष ×

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष ×

साक्षी

साक्षी

विक्रित सम्पादित का विवरण
चौहद्दी व पैमाईश

पूरब - मकान विक्रेता गण
पश्चिम - मकान रामकुमार
उत्तर - सड़क सरकारी
दक्षिण - मकान राकेश शर्मा

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अन्तर्गत नोटिस) →

राहुल कुमार एड०

सेवा मे,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
बुलन्दशहर
जिला बुलन्दशहर
उत्तर प्रदेश

श्रीमानजी,

अपने मुवक्किल धीतर मल पुत्र श्री गंगा सरन निवासी म० न० 32/2 देवीपुरा द्वितीय बुलन्दशहर जिला बु०शहर की ओर से मै आपको निम्नलिखित नोटिस सी० पी० सी० की धारा 80 के अन्तर्गत दे रहा हूँ —

1. यह कि दिनॉक 15-5-2015 को अब्दुल मजीद पुत्र खान बहादुर निवासी मकान नं० 32 मौ० रुकन सराय बुलन्दशहर जिला बु० शहर जो सरकारी ड्राईवर है और जिला कृषि अधिकारी बु० शहर जिला बुलन्दशहर से सम्बद्ध है वह जीप नं० 1752 U.P.A करीब दिन के एक बजे चला रहा था।

2. यह कि उक्त ड्राइवर जीप को सेवा के दौरान सरकारी आदेशो के अन्तर्गत उक्त तारीख व समय को काला आम चौराहे के पास असावधानी से चला रहा था।

3. यह कि मेरा उक्त तारीख व समय को सड़क पर ठीक साइड पर चला आ रहा था,

4. यह कि उक्त ड्राईवर ने उक्त जीप को असावधानी से चलाते हुए मेरे मुवक्किल को टक्कर मार दी। जिसके कारण उसके सिर व हाथो मे गम्भीर चोट आयी।

5. यह कि उक्त चोटो के कारण मेरे मुवक्किल को एक माह तक एल० पी० शर्मा अस्पताल बु०शहर मे रहकर अपना इलाज करना पड़ा जिस पर उसका 100000 = 00 रुपया खर्च आया।

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

6. यह कि मेरा मुवक्किल नगर पालिका परिषद् बुलन्दशहर मे लिपिक के पद पर कार्यरत है और 25000 =00 रूपया मासिक वेतन पा रहा है।

7. यह कि मेरे मुवक्किल को चोटो के कारण एल० पी० शर्मा अस्पताल मे एक माह की अवैतनिक छुट्टी लेकर अपना इलाज कराना पड़ा जिसके कारण उसे 25000 =00 रुपये की हानि उठानी पड़ी।

8. यह कि उक्त ड्राईवर सरकारी सेवा मे था सेवा के दौरान सरकारी आदेशो के अन्तर्गत जीप चला रहा था। अतः उत्तर प्रदेश सरकार मेरे मुवक्किल को 1,25000 =00 रुपये हर्जे के रूप मे देने के लिये उत्तरदायी है।

9. यह कि आपको यह नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस की तामील के दो माह की अवधि के भीतर उ० प्र० सरकार मेरे मुवक्किल को 1,25,000 =00 रूपये हर्जे के रूप मे अदा करे।

10. यह कि यदि इस नोटिस के अनुसार मेरे मुवक्किल को उक्त धनराशि का भुगतान हर्जे के रूप मे चलाने अदा नही किया गया तो एक माह की अवधि मे बीतने के बाद मेरा मुवक्किल उ० प्रदेश सरकार के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए बाध्य होगा और हर्जे - खर्चे के लिए सरकार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। यह नोटिस आपको दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत दिया जा रहा है। ताकि समय पर काम आये।

नोटिस देहिन्दा

राहुल कुमार एडवोकेट
चैम्बर न० 7 जिला बार एसोसियेशन के निकट
कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर
जिला - बु० शहर।

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner

(दान पत्र) →

सर्वविदित हो कि मै राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री ओमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मौ० इन्दिरा नगर नया साठा बु० शहर जिला - बुलन्दशहर का हूँ जो कि यह दान - पत्र आज दिनॉक 12-03-2015 को सम्पन्न करता हूँ।

जो कि मै अपना मकान जो मौहल्ला इन्दिरा नगर, नया साठा बु० शहर जिला बुलन्दशहर मे स्थित है। जिसका विवरण दानपत्र मे अन्त मे दिया गया है का एक मात्र स्वामी हूँ। उक्त सम्पत्ति मेरे द्वारा पैदा की हुई है, मुझे उसके अन्तरण का पूर्ण अधिकार है। मेरी कोई भी सन्तान नही है। श्रीमती रजनी पत्नी श्री राजकुमार निवासी मौ० डहर पट्टी कस्बा व थाना स्याना जिला बुलन्दशहर मेरी सगी बहन है। मैने अपनी बहन के पुत्र राहुल को बचपन से अपने पास रखा है व उसको पढ़ाया लिखाया है। मुझे उससे अत्यन्त प्रेम व स्नेह है। इसलिये मै अपनी उक्त सम्पत्ति उसे दान स्वरूप देना चाहता हूँ। अत: मै स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के प्रेम व स्नेह वश अपनी उक्त सम्पत्ति को जो सभी प्रकार के भार से मुक्त है राहुल पुत्र राजकुमार को दान देता हूँ। व उसके पक्ष मे अन्तरित करता हूँ। मेरे इस दान को दानगृहीता राहुल ने स्वीकार कर लिया है। आज से उक्त सम्पत्ति का राहुल पुत्र राजकुमार एक मात्र स्वामी है। मुझको या मेरे उत्तराधिकारी को उक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रह गया है। इस विलेख के प्रमाण मे आज दिनॉक 12-3-2015 को साक्षियों सहित मैने हस्ताक्षर बनाये।

सम्पत्ति का विवरण →
एक मकान कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज
पूरब :- मकान अरविन्द शर्मा
पश्चिम :- सड़क
उत्तर :- मकान श्रीमती मधुरानी
दक्षिण :- मकान अरुण कुमार

हस्ताक्षर दान कर्ता

हस्ताक्षर दान गृहीता

साक्षी :-

UNITED SECULAR SOCIETY

Scanned with CamScanner